

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 09/2019

बउनवान

बजरंगा उम्र 70 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति—सहरिया निवासी—बमोरीकलां
तहसील—मॉंगरोल जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार,मॉंगरोल

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक
2. पेरोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक— 25.11.2020

1— अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल के आदेश दिनांक 15.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बमोरीकलां, तहसील—मॉंगरोल की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 1692 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 576/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय विधि एवं संचिका के सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई है। कब्जे काश्त के संबंध में स्वतंत्र गवाहान से कोई पूछताछ नहीं हुई है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय निरस्त फरमाया जाकर, 90 दिन की सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट की प्रोपर तामील भी नहीं



हुई है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट व बयान के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्वतंत्र गवाहान के बयान, पूर्व बेदखली व पश्चात्वर्ती निर्णय की प्रति नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 33/17 निर्णय दिनांक 11.2.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1692 रकबा 0.48 है0 ग्राम बमोरीकलां से पूर्व में मिसल नम्बर 33/17 निर्णय दिनांक 11.2.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 51/18 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां